



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2013/फाल्गुन 7, 1934

No. 427]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2013/PHALGUNA 7, 1934

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2013

का.आ. 463(अ).— केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 578(अ), तारीख 23 मार्च, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों में कार्यरत अकुशल हस्त कर्मकारों को स्तंभ (3) के अधीन संदेय मजदूरी की दर तारीख 1 अप्रैल, 2013 से विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :--

अनुसूची

अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए राज्य-वार मजदूरी की दर
(रु० प्रति दिन)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	प्रतिदिन मजदूरी की दर
(1)	(2)	(3)
1	असम	152.00 रु०
2	आन्ध्र प्रदेश	149.00 रु०
3	अरुणाचल प्रदेश	135.00 रु०
4	बिहार	138.00 रु०
5	गुजरात	147.00 रु०
6	हरियाणा	214.00 रु०
7	हिमाचल प्रदेश	गैर-अनुसूचित क्षेत्र 138.00 रु० अनुसूचित क्षेत्र 171.00

8	जम्मू-कश्मीर	145.00 रु०
9	कर्नाटक	174.00 रु०
10	केरल	180.00 रु०
11	मध्य प्रदेश	146.00 रु०
12	महाराष्ट्र	162.00 रु०
13	मणिपुर	153.00 रु०
14	मेघालय	145.00 रु०
15	मिजोरम	148.00 रु०
16	नागालैंड	135.00 रु०
17	ओडिशा	143.00 रु०
18	पंजाब	184.00 रु०
19	राजस्थान	149.00 रु०
20	सिक्किम	135.00 रु०
21	तमिलनाडु	148.00 रु०
22	त्रिपुरा	135.00 रु०
23	उत्तर प्रदेश	142.00 रु०
24	पश्चिमी बंगाल	151.00 रु०
25	छत्तीसगढ़	146.00 रु०
26	झारखंड	138.00 रु०
27	उत्तराखंड	142.00 रु०
28	गोवा	178.00 रु०
29	अंडमान और निकोबार	अंडमान जिला
		198.00 रु०
		निकोबार जिला
		210.00 रु०
30	दादरा और नागर हवेली	175.00 रु०
31	दमण और दीव	150.00 रु०
32	लक्षद्वीप	166.00 रु०
33	पुडुचेरी	148.00 रु०
34	चंडीगढ़	209.00 रु०

2. यह अधिसूचना माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति अपील (सिविल) संख्या 379-390/2012 के निष्कर्ष के अधीन होगी।

[फा. सं. जे-11011/1/2009-एमजीएनआईजीए (भाग)]

डी. के. जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.82(अ), तारीख 14 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :

(i) का.आ. 372(अ), तारीख 14 फरवरी, 2011 ;

- (ii) का.आ. 1755(अ), तारीख 28 जुलाई, 2011 ;
 (iii) का.आ. 578(अ), तारीख 23 मार्च, 2012 ।

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th February, 2013

S.O. 463(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number S.O. 578(E), dated the 23rd March, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the wage rate payable to the unskilled manual workers under column (3), in respect of the State or the Union territory mentioned in column (2), of the Schedule given below, working on various Schemes under the said Act, with effect from 1st day of the April, 2013, namely:-

SCHEDULE

State Wise Wage rate for Unskilled Manual Workers (Rs.per Day)		
S. No	Name of State/ Union territory	Wage rate in Rs. per Day
(1)	(2)	(3)
1	Assam	Rs. 152.00
2	Andhra Pradesh	Rs.149.00
3	Arunachal Pradesh	Rs. 135.00
4	Bihar	Rs 138.00
5	Gujarat	Rs. 147.00
6	Haryana	Rs. 214.00
7	Himachal Pradesh	Non-scheduled Areas-Rs. 138.00 Scheduled Areas-Rs. 171.00

8	Jammu and Kashmir	Rs. 145.00
9	Karnataka	Rs. 174.00
10	Kerala	Rs. 180.00
11	Madhya Pradesh	Rs. 146.00
12	Maharashtra	Rs. 162.00
13	Manipur	Rs. 153.00
14	Meghalaya	Rs. 145.00
15	Mizoram	Rs. 148.00
16	Nagaland	Rs. 135.00
17	Orissa	Rs. 143.00
18	Punjab	Rs. 184.00
19	Rajasthan	Rs. 149.00
20	Sikkim	Rs. 135.00
21	Tamil Nadu	Rs. 148.00
22	Tripura	Rs. 135.00
23	Uttar Pradesh	Rs. 142.00
24	West Bengal	Rs. 151.00
25	Chhattisgarh	Rs. 146.00
26	Jharkhand	Rs. 138.00
27	Uttarakhand	Rs. 142.00
28	Goa	Rs. 178.00
29	Andaman and Nicobar	Andaman District
		Rs. 198.00
		Nicobar district
		Rs. 210.00
30	Dadra and Nagar Haveli	Rs. 175.00

31	Daman and Diu	Rs.150.00
32	Lakshadweep	Rs.166.00
33	Puducherry	Rs. 148.00
34	Chandigarh	Rs. 209.00

2. This notification shall be subject to the outcome of the Special Leave to Appeal(Civil) No(s) 379-390/2012 pending before the Hon'ble Supreme Court.

[F. No. J-11011/1/2009-MGNREGA(Pt.)]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 82(E), dated the 14th January, 2011 and subsequently amended vide following notification numbers:

(i) S.O. 372(E), dated the 14th February, 2011;

(ii) S.O. 1755(E) dated the 28th July, 2011.

(iii) S.O. 578(E) dated the 23rd March, 2012.

78796/13-2